

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1615 व 1616 / 2013..... जिला : जोधपुर  
 उनवान गांधी परफ्यूमरी, जोधपुर बनाम बनाम सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी, घट- ।।, वृत-बी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2015	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ  <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u>  <u>श्री मनोहरपुरी, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री आर.आर.सिंघवी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री आर.आर.सिंघवी ने बहस के लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है इसलिए अब कोई शिकायत (grievances) नहीं है। अतः कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपीले सारहीन (infructuous) हो गयी हैं, इस कारण वह उक्त अपीलें विड्डा करना चाहते हैं।</p> <p>इस बाबत उनके द्वारा अपील विड्डा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाकर उन्हें स्वीकार किया जाता है। इस बाबत विभागीय प्रतिनिधि श्री डी.पी.ओझा को कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>अतः अपील संख्या 1615 एवं 1616 / 2013 / जोधपुर जरिए विद्वाल खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मनोहरपुरी) सदस्य</p> <p style="text-align: right;">(सुनील शर्मा) सदस्य</p>	